न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई

जमानत आवेदन संख्या–112 / 2026

(जमुई थाना कांड संख्या 424 / 2025 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

सतीश सिंह बनाम राज्य सरकार

आदेश

25.04.2026 1– प्रस्तुत जमानत आवेदन **सतीश सिंह** उम्र लगभग 47 वर्ष, पिता रमेश सिंह, साकिन धनार, थाना चन्द्रदीप, जिला जमुई, द्वारा जमुई थाना कांड संख्या 424 / 2025 में अन्तर्गत धारा 87 बी0एन0एस0 के अन्तर्गत नियमित जमानत हेतु दाखिल किया गया है। उक्त जमानत आवेदन पर आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता राजीव कुमार तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री शक्ति लाल शर्मा को सुना गया। आवेदक अभियुक्त दिनांक 09.01.2026 से काराधीन है।

2– अभियोजन का केस संक्षेप में यह है कि दिनांक 05.07.2025 को सूचक के पुश्तैनी आवास पर जाने के लिए सूचक की पत्नी जिद्द करने लगी। काफी समझाने के बाद भी नहीं मानी तो सूचक दिनांक 06.07.2025 को जमुई महिसौड़ी बस स्टैंड पर छोड़ आये। सूचक की पत्नी बोली आप घर वापस जाइये वौआ घर पर अकेले है। मैं यहां से अकेले पुश्तैनी आवास पर चली जाउंगी। सूचक का मोबाईल नंबार 7542850125 से सूचक की पत्नी का मोबाईल नंबर 8434320355 आई0ई0एम0आई0 नंबर 351270416179574 पर दिनांक 10.07.25 को बातचीत हुआ। लेकिन जब सूचक दिनांक 11.07.2025 को बच्ची के कहने पर उक्त मोबाईल नंबर पर फोन लगाया तो बंद पाया। घबराहट के कारण छानबीन करने लगा। सूचक को कुछ पता नहीं चला। सूचक की दिमागी हालत भी सही नहीं है एवं घर में बच्ची भी अकेली है। सूचक कहीं भी आ जा नहीं सकता है। सूचक काफी परेशान है।

3– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए निवेदन करते है कि आवेदक अभियुक्त दिनांक 09.01.2026 से कारा में संसीमित है। आवेदक की ओर से इस जमानत आवेदन को छोड़कर कोई अन्य जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष न तो दाखिल किया किया गया है और न ही लंबित है। आवेदक का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक बिल्कुल निर्दोष है उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक को इस वाद में मनगढ़ंत तरीके से झूठा फंसाया गया है। यह कि आवेदक का उक्त महिला से सोशल मिडिया प्लेटफॉर्म पर जान पहचान और बातचीत हुआ था और एक दूसरे के करीब आये थे। यह कि सोशल मिडिया प्लेटफॉर्म में बातचीत के दौरान उक्त महिला द्वारा स्वयं को अविवाहित बताया गया था और वह आवेदक से शादी करना चाहती थी और एक दिन बिना आवेदक को सूचना दिये आवेदक के घर पर उससे शादी करने पहुंची थी और शादी न करने पर खुद आत्महत्या करने की बात कहकर

लगातार.....

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई

जमानत आवेदन संख्या–112 / 2026

(जमुई थाना कांड संख्या 424 / 2025 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

सतीश सिंह बनाम राज्य सरकार

25.04.2026
लगातार

कहकर आवेदक को उक्त महिला द्वारा डराया धमकाया गया था। इसी के डर से आवेदक ने उक्त महिला से हिन्दू रीति रिवाज से शादी किया और छः महीने तक वैवाहिक जीवन बिताया लेकिन फिर आवेदक को पता चला कि महिला पहले से शादी शुदा है और एक बच्चे की मां है और जब आवेदक द्वारा उक्त तथाकथित पीड़ित महिला से सवाल किया गया तो मौका पाकर उक्त महिला घर से भाग गई और अपने साथ 20 लाख रूपये के चांदी के गहने और सोने के गहने और 03 लाख रूपये नगद लेकर अपने पति के पास पहुंच गयी। वास्तव में आवेदक ही तथाकथित पीड़ित महिला के माध्यम से पीड़ित किया गया है और इस झूठे वाद में आवेदक को फंसाया गया है। आवेदक अकारण कारा में संसीमित है। अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते हैं।

4– अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

5– उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया, जिससे विदित होता है कि आवेदक प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त हैं तथा प्राथमिकी धारा 87 बी0एन0एस0 के अर्न्तगत पंजीकृत किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार दिनांक 05.07.2025 को सूचक के पुश्तैनी आवास में जाने के लिए सूचक की पत्नी जिद्द करने लगी। काफी समझाने के बाद नहीं मानी तो सूचक दिनांक 06.07.2025 को उसे जमुई के महिसौड़ी बस स्टैंड पर छोड़ आया। सूचक की पत्नी बोली आप घर वापस जाइए , बउआ घर पर अकेले है मैं यहां से अकेले पुश्तैनी आवास पर चली जाउंगी। सूचक ने मोबाईल नंबर 8434320355 पर उससे दिनांक 10.07.2025 को बातचीत किया लेकिन जब दिनांक 11.07.2025 को सूचक अपने बच्चे के कहने पर उक्त मो0 नंबर पर फोन लगाया तो फोन बंद पाया। प्रयास के बाद भी वह अपनी पत्नी को खोज नहीं पाया। अनुसंधान के दौरान पीड़िता को पुलिस द्वारा आवेदक अभियुक्त सतीश सिंह के घर से बरामद किया गया। वाद दैनिकी की कंडिका 33 में पीड़िता ने पुलिस के समक्ष धारा 180 बी0एन0एस0 के अन्तर्गत ब्यान दिया है कि मैं अंजू देवी उम्र 31 वर्ष पे0 अशोक पंडित सा0 पुरानी बाजार, थाना+जिला– जमुई की निवासी हूं। मैं आज दिनांक 08.01.26 को समय लगभग 11:30 बजे जमुई थाना में पु0अ0नि0 राशि मलिक के समक्ष बिना किसी लोभ लालच, भय दबाव के मैं अपना ब्यान दे रही हूं कि मेरी शादी अशोक पंडित से लगभग 10 साल पहले हुई थी और एक 8 साल की बेटी है। मेरे पति की श्रृंगार स्टोर की दुकान पुरानी बाजार में है। जहां मैं बहुत बार आती जाती थी वही पर मेरी मुलाकात सतीश सिंह पे0 रमेश सिंह सा0 धनार, थाना चन्द्रदीप जिला जमुई से हुई और उन्होंने मुझे अपना नंबर

लगातार.....

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई

जमानत आवेदन संख्या–112 / 2026

(जमुई थाना कांड संख्या 424 / 2025 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

सतीश सिंह बनाम राज्य सरकार

25.04.2026
लगातार

दिया। हम दोनों की लगभग 15–20 दिन फोन पर बातचीत हुई उसके बाद सतीश सिंह मुझसे मिलने लिए जिद करने लगे और मुझे घर बुलाने लगे। फिर मैंने अपने पति को बोला कि मुझे अपने पुश्तैनी आवास रामगढ़ चौक जाना है तो दिनांक 06.07.25 को मेरा पति मुझे महिसौड़ी चौक छोड़ने गये वहां से मैं अपने पुश्तैनी आवास पर चली गयी और वहां रामगढ़ चौक पर 2–3 दिन रही उसके बाद सतीश सिंह मुझे रामगढ़ चौक पर मिलने आया और मुझे बाढ़ लेकर चला गया और वही पर रूम लेकर 7–8 दिन रहे। उसके बाद सतीश सिंह मुझे अपने घर धनार, चन्द्रदीप लेकर गया। मैं तब से धनार, चन्द्रदीप में सतीश सिंह के घर पर रही हूं। अभी मैं 2–2.5 महीने प्रेगनेन्ट हूं। फिर कल दिनांक 07.01.25 को मुझे पुलिस लेने सतीश सिंह के घर आईं अब मैं अपने पति अशोक पंडित के साथ अपने पति के घर जाना चाहती हूं। पीड़िता का ब्यान न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जमुई के समक्ष धारा 183 बी0एन0एस0 के अन्तर्गत भी हुआ है जिसमें पीड़िता ने कथन किया है कि वह न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष अपना ब्यान अपनी मर्जी से तथा बिना किसी भय, दबाव के दे रही है । पीड़िता ने न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष ब्यान दिया है कि मेरा विवाह अशोक कुमार पंडित से 10 साल पहले हुआ था। मेरी एक 8 साल की बेटी है। मेरे पति को पुरानी बाजार में श्रृंगार का दुकान है। मेरे दुकान में सतीश सिंह आता था। उसने मुझे अपना मोबाइल नम्बर दिया था उसपर उससे 15–20 दिन बात हुआ था। वह मुझे मिलने के लिए बुलाया और मैं उसकी बातों में आ गई और अपने पति को बोली कि मुझे अपने पुश्तैनी मकान रामगढ़ चौक जाना है। दिनांक 06.07.2025 को मेरे पति ने मुझे महिसौड़ी चौक छोड़ दिया मैंने उससे कहा कि मैं चली जाउंगी। रामगढ़ चौक पर मैं दो तीन दिन रही। सतीश सिंह मुझे फोन करके बुलाया तो मैं रामगढ़ चौक बाजार पर आई तो वहां से सतीश सिंह मुझे लेकर बस से चला गया। यह घटना दिनांक 08.07.2025 की है। उसके बाद बाढ़ में उसने एक रूम लेकर एक सप्ताह रखा और वहां से मुझे धनार लाया और वहां पर 4–5 महीना रखा। उसने मेरा मोबाईल वगैरह सब तोड़ दिया था ताकी मैं अपने पति से सम्पर्क ना कर सकूं। उसने मुझे बोला कि मैं तुमसे शादी करूंगा। वह लगभसग 45–46 साल का व्यक्ति है और शादी शुदा है। उसके बच्चे भी हैं। मैं उसके साथ रहने से मना करती थी तो वह मेरे साथ मारपीट करता था। उसके साथ रहने के कारण मैं गर्भवती हो गई और अभी भी बच्चा मेरे पेट में पल रहा है। मेरे पति वहां से मुझे पुलिस की मदद से छुड़ा कर लाए। मैं दिनांक 07.01.2026 को उसके चंगुल से छूटी। दिनांक 08.01.2026 को मेरा पुलिस के सामने ब्यान हुआ आज न्यायालय में अपना ब्यान देने आई हूं

लगातार.....

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई

जमानत आवेदन संख्या–112 / 2026

(जमुई थाना कांड संख्या 424 / 2025 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

सतीश सिंह बनाम राज्य सरकार

25.04.2026 जमानत आवेदन की सुनवाई के दौरान पीड़िता न्यायालय में उपस्थित हुई तथा इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 08.04.2026 को एक शपथपत्र दिया। अपने शपथपत्र में पीड़िता ने कथन किया है कि इस वाद के आवेदक अभियुक्त सतीश सिंह पे0 रमेश सिंह ग्राम धनाढ़, थाना चन्द्रदीप जिला जमुई, वह जबरदस्ती डरा धमकाकर परिवार के सदस्यों की हत्या का धमकी देकर दिनांक 06.07.2025 को जमुई महिसौड़ी बस स्टैंड से मुझे अपने साथ अपहृत करके ले गया। यह कि लगभग एक सप्ताह तक मेरे इच्छा के विरूद्ध शारीरिक सम्बन्ध बनाए, विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। यह कि उन्होंने डरा धमका कर दिमागी रूप से हमें कमजोर कर हमारे साथ बलात्कार किये । मैं काफी पीड़ित हूं हमारे साथ बलात्कार हुआ है हमें समाज में अपमानित होना पड़ा है। इस शपथ पत्र पर लिखी सारी बातें मेरी निजी जानकारी सत्य है इसका कोई भी अंश असत्य नहीं है।

इस वाद के तथ्य एवं परिस्थितियों एवं उपरोक्त विवेचन तथा उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद के इस प्रक्रम पर आवेदक को जमानत पर मुक्त इस न्यायालय के दृष्टिकोण में न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक अभियुक्त **सतीश सिंह** का जमानत आवेदन खारिज कया जाता है।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

मेमो संख्या .....दिनांक.....

प्रति अग्रसारित–न्यायालय– विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जमुई।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय जमुई।